उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-596/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.187-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(249)-2022

लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई, 2022

अधिसूचना

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या-445/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(118)-2020 दिनांक 11 मई, 2020 और अधिसूचना संख्या-496/ग्यारह-2-21--9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(186)-2021 दिनांक 28 जून, 2021 का आंशिक उपांतरण करते हुए,-

(एक) संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोगकृत इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए कर की अवधि के संबध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करती हैं;

(दो) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना के लिए 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को अपवर्जित करती हैं।

(तीन) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को अपवर्जित करती हैं।

2. यह अधिसूचना तारीख 1 मार्च 2020 से प्रवृत्त हुयी समझी जाएगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव